

क्र. सं.
दिनांक आज
या कार्यवाही

21/7/2022

पत्रावली आज वास्ते आवेक्षा हेतु
पैसा ही पत्रावली पर आवेक्षा नहीं
सुनाया जा सका पत्रावली वास्ते आवेक्षा
हेतु दिनांक 25/7/22 का पैसा ही

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

25/07/2022

पत्रावली वास्ते आदेश देना
हुई है उभय पक्षों को सुनने
एवं पत्रावली पर उक्त पत्र दिनांक
के अवलोकन पर हम पाते हैं कि

① दिनांक 08.06.2022 को
अर्जित धारा-53 राज.
काश्तकारी आर्द्यनियम अन्त
इस प्रार्थन पत्र के परम
संख्य ① में उल्लेखित किये
आराजियत का सहमत हो
विमजान हेतु तत्समय इस
आराजियत के सहस्रवर्तदारा
ने सहमत हो विमजान हेतु
प्रार्थन पत्र सक्षम प्राधिकारी
तहसीलदार वस्ती के समक्ष
देना किया था जिसको
तहसीलदार वस्ती ने उक्त
प्रार्थन पत्र को लीफ्ट का

नंख्या /
दिनांक
या का

उपरोक्त आविष्कारी आविष्कारी बरसी

गोपाललाल बनाम राधेश्याम

संख्या / वर्ष

३४ / २० २२

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>1. अकारनाम के आधार पर राजाव. रिफार्ड में अमल का आदेश दिया है।</p> <p>2. उक्त आदेश की फाइल में रिफार्ड में जो अमल किया गया है वह दिनांक 08.06.1992 के सक्षम आविष्कारी (बसील) बरसी द्वारा तबदीक सहमत के विभाजन के अनुरूप नहीं है; अतः यह जाति है कि न्यायालय आदेश की फाइल में जो रिफार्ड एवं सबूतों में फाइल की है उसमें लिखिकाप गयी है।</p> <p>3. अपील संख्या-५ की आपत्ति की सहमत पर प्रार्थी के पिता कगबड़ एवं मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण प्रार्थियों को करवा ली है।</p>	

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

अज्ञाती संख्या - (५) की इस
आपत्ति को इस कारण पर
पा हुआ जाग धोचत नहीं
है, इस ना ही इस हेतु यह
न्यायालय सक्षम है।

अज्ञाती संख्या - (५) को
यह आदेश दिया जाता है -
कि यदि आदेश दिनांक
08.06.1992 तहसील का
बस्ती की विधानिकी पर कोई
रोक नहीं है तो इस आदेश
के अनुरूप रिजॉर्ड एवं
नक्शे में अमल में हुई
लिपिकीय त्रुटियों को दुरुस्त
किया जावे।

15 दिवस में अमल
होकर पालक न्यायालय
को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल नुमांर डेका
नम्बर ले कम ही।

(३६)

रूप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)

महलीलयातक

का (१६) पीटी

३६२

10/8/22